न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर कैम्पउज्जैन

प्र0क्र0 P-1233-PBR-17

रूकमणबाई पति बाबुलाल जी पाटीदार

नि0 खडपाल्या तह. मल्हारगढ आदि.

बनाम

कन्हैयालाल पिता भैरूलाल पाटीदार

नि0 खडपाल्या तह. मल्हारगढ

विधि अभिभाषक श्री आलोक शास्त्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 12-4-17
12-4-17
अधीक्षक
निगरानी
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नवत् पेश है :-

§1§ यहकि प्रार्थीगण ने न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय मल्हार के प्र0क्र0 5-अ-13/15-16 में अंतरीम आदेश दिनांक 6-12-16 के विरूद्ध श्रीम अतिरिक्त कलेक्टर महोदय मंदसौर में निगरानी दिनांक 2-1-17 को प्रस्तुत और उक्त निगरानी प्र0क्र0 12/16-17 पर दर्ज की गई ।

§2§ यह कि म.प्र. भू.रा. संहिता द्वितिय संशोधन अध्यादेश 2015 व धारा 50§1§ मे संशोधन हो जाने की वजह से दिनांक 30-3-17 को उक्त निगरानी को राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रस्तुत करनेहेतु निर्देशीत किया और उक्त मुल निगरानी सहित प्रार्थीगण को दिनांक 1-4-17 को प्राप्त की गई तथा उक्त आदेश की नकल ~~छछछ~~ दिनांक 30-3-17 को लिये प्रार्थीगण ने प पत्र दि0 3-4-17 को प्रस्तुत किया, और उक्त आदेश की नकल दिनांक 10-4-17 को प्राप्त की गई, ।

§3§ यह कि उक्त आदेश की नकल सहित प्रार्थीगण के द्वारा ~~छछ~~ दि 1-4-17 से 10-4-17 तक नकल के दिन मुजरा करते हुये यह निगरानी श्रीम के न्यायालय में प्रस्तुत है।

दिनांक :- 10-4-17 मंदसौर

प्रस्तुतकर्ता/प्रार्थीगण
रूकमणबाई पति बाबुलालपाटीदा
आदि - द्वारा-अभिभा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1233–पीबीआर/17 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हौनें स्थल निरीक्षण उपरांत अभी केवल अंतरिम राहत के तौर पर रास्ता खुलवाया गया है; जिसमें कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है । अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	